रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234909
CG-DL-E-06042022-234909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2022/चैत्र 16, 1944
No. 263] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2022/CHAITRA 16, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 275(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) और धारा 10 के खंड (47) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहां गया है) के नियम 2च में उपनियम (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(3) अवसंरचना ऋण निधि,-

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार और समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या जारी करना) नियम, 2000 के अधीन सुसंगत विनियमों के अधीन रूपए के अभिदाय में या विदेशी मुद्रा में बंधपत्र जारी करेगी; या

(ii) नियम 8ख के अनुसार जीरो कूपन बंधपत्र जारी करेगी।

(4) अवसंरचना ऋण निधि द्वारा जारी किए गए बंधपत्र की निबंधन और शर्तें, -

(i) उपनियम (3) के खंड (i) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों और उक्त खंड में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार होगी; या

(ii) उपनियम (3) के खंड (ii) के अधीन नियम 8ख के अनुसार होगी ।"।

3. मूल नियम के नियम 8ख में,-

(क) उपनियम (1) में,-

(i) "अवसंरचनात्मक पूंजी निधि" शब्दों के स्थान पर "अवसंरचनात्मक पूंजी निधि या अवसंरचना ऋण निधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"परन्तु उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आवेदन किया जाता है, दो वित्तीय वर्षों के पश्चात् जारी किए जाने वाले बंधपत्र की अधिसूचना के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि प्ररूप संख्या 5ख में किया गया कोई आवेदन ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर निस्तारित किया जाएगा।";

(ख) उपनियम (2) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) जहां आवेदन किसी अवसंरचनात्मक पूंजी कंपनी या अवसंरचना ऋण निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा जो, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) के अधीन परिभाषित सरकारी कंपनी है वहां कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन उसके निगमन के प्रमाणपत्र की एक प्रति";

(ग) उपनियम (3) में,-

(i) "अवसंरचनात्मक पूंजी निधि" शब्द जहां-जहां वें आते हैं, के स्थान पर "अवसंरचनात्मक पूंजी निधि या अवसंरचना ऋण निधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(vi) जहां आवेदन किसी अवसंरचना ऋण निधि द्वारा किया गया है, ऐसी निधि आवेदन के साथ एक वचनबद्ध दाखिल करेगी कि ऐसी निक्षेप निधि ऐसे ब्याज के लिए रखी गई है, जो अभिदाय किए गए सभी जीरो कूपन बंधपत्र पर प्रोद्भूत होंगे और ऐसा ब्याज सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2 के खंड (च) के अधीन यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूति में विनिहीत होगा ।";

(घ) उपनियम (5) में "अवसंरचना पूंजी निधि" शब्द के स्थान पर "अवसंरचनात्मक पूंजी निधि या अवसंरचनात्मक ऋण निधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्-

"(6) प्रत्येक अवसंरचनात्मक पूंजी कंपनी या अवसंरचनात्मक पूंजी निधि या अवसंरचना ऋण निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी यथास्थिति उपनियम (3) के खंड (iv) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपनियम (3) के खंड (v) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल से प्ररूप संख्या 5खक में प्रत्येक वर्ष में निवेश की गई रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।";

(च) उपनियम (7) के नीचे स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा;

(छ) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(8) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट फॉर्म नंबर 5ख में आवेदन और उप-नियम (6) में निर्दिष्ट फॉर्म 5खक में लेखाकार का प्रमाण पत्र या तो आंगुलिक हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(9) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) आकडों की सुरक्षित पकड और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए रूप विधान और मानक प्रक्रिया निर्दिष्ट करेगा और प्ररूप संख्या 5ख और प्ररूप संख्या 5खक को प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित प्रतिभूति, पुरालेखीय और पुन: प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वियन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति,-

(i) “छूट और बंधपत्र के परिपक्वता की अवधि” का वही अर्थ होगा, जो क्रमश: उनका धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (iiiक) के स्पष्टीकरण के खंड (i) और खंड (ii) में है;

(ii) “इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड” से प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट आकडें संरचना और मानकों के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाली व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए उत्पन्न किया गया कोड़ अभिप्रेत है;

(iii) “अवसंरचना ऋण निधि” से अधिनियम की धारा 10 के खंड (47) के अधीन राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि अभिप्रेत है ।”।

4. मूल नियम के उपाबंध 2 में प्ररूप संख्या 5ख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“प्ररूप संख्या 5ख

[नियम 8ख के उपनियम (1) को देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (48) के अधीन जीरो कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए आवेदन

1.	आवेदक का नाम	
2.	प्रवर्ग (कृपया एक पर सही का निशान लगाए)	अवसंरचनात्मक पूंजी कंपनी/ अवसंरचनात्मक पूंजी निधि/ अवसंरचनात्मक ऋण निधि/ पब्लिक सेक्टर कंपनी
3.	पता	
4.	आवेदक का स्थायी खाता सं.	
5.	अधिकारिता वाला निर्धारण अधिकारी	
6.	निगमन/ रजिस्ट्रीकरण की तारीख (कृपया निगमन/ रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	तारीख/मास/वर्ष
7.	पंक्ति 2 में किसी अवसंरचना ऋण निधि की दशा में, – (क) अधिनियम की धारा 10 (47) के अधीन अनुमोदन की तारीख	ता | ता | मा | मा | वर्ष | वर्ष | वर्ष | वर्ष
	(ख) अधिनियम की धारा 10 (47) के अधीन अनुमोदित अवसंरचना ऋण निधि की अधिसूचना संख्या	
8.	आवेदक का उद्देश्य (कृपया ज्ञापन/ न्याय विलेख आदि की प्रति संलग्न करें)	
	(क) मुख्य उद्देश्य	
	(ख) आनुषंगिक उद्देश्य	
9.	स्तंभ 2 में पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में कृपया कारबार की प्रकृति विनिर्दिष्ट करे	

10.	जारी किए जाने वाले प्रस्तावित बंधपत्रों की कुल संख्या	
11.	वह रकम जिसके लिए बंधपत्र जारी किए जाने का प्रस्ताव है	
12.	बंधपत्र की परिपक्वता/ मोचन पर संदेय रकम	
13.	छूट [(12) – (11)]	
14.	बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि	वर्ष | | | मास | | | दिन |
15.	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान बंधपत्र जारी किया जाना है	व | व | व | व – व | व | व | व
16.	बंधपत्र जारी करने के उद्देश्य	
17.	किए जाने वाले प्रस्तावित विनिधान के ब्यौरे :	

क्र. स.	इकाई का नाम, जिसमें विनिधान किया जाना प्रस्तावित है	इकाई की प्रकृति, जिसमें विनिधान किया जाना प्रस्तावित है 1.पब्लिक सेक्टर कंपनी 2. अन्य कंपनी 3. कोई अन्य उद्यम या उपक्रम या इकाई	इकाई का पैन/ आधार, जिसमें विनिधान किया जाना प्रस्तावित है	इकाई का पता, जिसमें विनिधान किया जाना प्रस्तावित है	इकाई के कारबार की प्रकृति, जिसमें विनिधान किया जाना प्रस्तावित है	परियोजना का पता/अवस्थिति के ब्यौरे (किसी कंपनी/उपक्रम/इकाई के भीतर विभिन्न परियोजनाओं की दशा में, पंक्तियां जोड़े)
(i)	(ii)	(iii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)

परियोजना के प्रारंभ की योजनाबद्ध तारीख (दिनदिन/मास मास/वर्षवर्षवर्ष वर्ष)	प्रचालन प्रारंभ की योजनाबद्ध तारीख (दिनदिन/ मासमास/ वर्षवर्षवर्ष वर्ष)	परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ की तारीख (दिनदिन/ मासमास/ वर्षवर्षवर्ष वर्ष) [ऋण निधि अवसंरचना की दशा में लागू]	विनिधान का स्रोत :	परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी प्रबंधन के ब्यौरे : (संगठन रूपरेखा चार्ट संलग्न करें)
(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)

(x)

क्र.सं.	स्रोत	राशि (रुपए में)
1.	जीरो कूपन बंधपत्र	
2.	स्वनिधि	
3.	अन्य ऋण और उधार	
4.	रुपए अंकित मूल्य बंधपत्र जारी करना	

(xi)

क्र.सं.	पदनाम 1. निदेशक 2. न्यासी 3. अन्य	नाम	अर्हता
(i)	(ii)	(iii)	(iv)

				5.	विदेशी करेंसी बंधपत्र जारी करना		अनुभव और निष्पादन	आस्ति प्रबंधन निधि, यदि कोई हो, की विशिष्टियां		
				6.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					
				योग						
								नाम	पता	पैन/आधार
							(v)	(vi)	(vii ☐	(viii)

.... में (प्रथम वित्तीय वर्ष का चयन करें) जीरो कूपन बंधपत्र के निर्गम द्वारा प्राप्त रकम, जिसे परियोजना-वार विनिधान किया जाना प्रस्तावित है

परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष 1 (रु)	वित्तीय वर्ष 2 (रु)	वित्तीय वर्ष 3 (रु)	वित्तीय वर्ष 4 (रु)	वित्तीय वर्ष 5 (रु)	वित्तीय वर्ष 6 (रु)
(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)	(xvii)	(xviii)

क्या परियोजना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध है ? (xix)	हां/नहीं

(ऐसे स्तंभ या स्तंभों के सामने "लागू नहीं होता" लिखें, जो आवेदक के लिए सुसंगत नहीं है।)

<u>घोषणा</u>

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

2. मैं .... (आवेदक का नाम लिखें) की ओर से वचनबंध करता हूं कि अवसंरचनात्मक पूंजी कंपनी/अवसंरचनात्मक पूंजी निधि/अवसंरचनात्मक ऋण निधि /पब्लिक सेक्टर कंपनी (सुसंगत विकल्प का चयन करें) के होते हुए भी ऐसे बंधपत्र के जारी किए जाने पर वसूल किए जाने वाले धन का आय-कर नियम, 1962 के नियम 8ख के उपनियम (3) के खंड (*iv*) या खंड (*v*) के अनुसार विनिधान किया जाएगा ।

3. मैं यह और वचनबंध करता हूं कि .... (अवसंरचनात्मक ऋण निधि का नाम) ऐसे ब्याज के लिए निक्षेप निधि बनाए रखेगा, जो कि अभिदत्त किए गए सभी जीरो कूपन बंधपत्र पर देय होगा और ब्याज को द्रव लिखत में विनिधान किया जाएगा । [आवेदक के अवसंरचनात्मक ऋण निधि होने की दशा में ही भरा जाए, यदि लागू नहीं हो तो काट दें] ।

स्थान :

तारीख :

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. पंक्ति 17 में स्तंभ (xiii) के लिए, वित्तीय वर्ष 1, उस वित्तीय वर्ष के तत्काल पश्चात् आने वाला वित्तीय वर्ष होगा, जिसमें पंक्ति 15 में यथाउपबंधित बंधपत्र जारी किया गया हैं । उक्त पंक्ति में स्तंभ (xiv) से स्तंभ (xviii) में वित्तीय वर्ष 2 से वित्तीय वर्ष 6 की संगणना वित्तीय वर्ष 1 से स्वचालित रूप से की जाएगी ।
2. आवेदन नीचे उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा :

   (क) पंक्ति सं0 3 के अनुसार आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(47) के अधीन अवसंरचनात्मक ऋण निधि की अधिसूचना की प्रति संलग्न करें ।

   (ख) पंक्ति सं0 7 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण/निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

   (ग) उस परियोजना की, जिसमें विनिधान किया जाना प्रस्तावित है, संगठन संरचना की प्रति संलग्न करें ।

   (घ) परियोजना रिपोर्ट की प्रति, यदि कोई हो ।

   (ङ) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मुख्तारनामा";

प्ररूप सं. 5खक

[नियम 8ख का उपनियम (6) देखिए]

नियम 8ख के उपनियम (6) के अधीन अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र

मैंने/हमने* .... वित्तीय वर्ष के लिए .... (जारीकर्ता का नाम) द्वारा जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने से समुत्थापित निधियों में से किए गए विनिधान की परीक्षा की है और मैं/हम निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं :-

1.	अवसंरचनात्मक पूंजी कंपनी/अवसंरचनात्मक पूंजी निधि/अवसंरचनात्मक ऋण निधि/पब्लिक सेक्टर कंपनी का नाम, जिसने जीरो कूपन बंधपत्र जारी किए हैं :	
2.	पैन :	
3.	प्रवर्ग (कृपया एक पर चिन्ह लगाएं):	अवसंरचनात्मक पूंजी कंपनी/अवसंरचनात्मक पूंजी निधि/अवसंरचनात्मक ऋण निधि/पब्लिक सेक्टर कंपनी
4.	जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने के लिए अधिसूचना की तारीख	दिनदिन/ मासमास/ वर्षवर्षवर्षवर्ष
5.	अधिसूचना संख्यांक	
6.	जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने की तारीख	दिनदिन/ मासमास/ वर्षवर्षवर्षवर्ष
7.	जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने से प्राप्त रकम (रुपए में)	
8.	जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने से प्राप्त निधियों में से किए गए विनिधान के ब्यौरे	

क्र. सं.	इकाई का नाम, जिसमें विनिधान किया गया है	इकाई की प्रकृति, जिसमें विनिधान किया गया है	स्तंभ (ii) की इकाई का पैन/ आधार	स्तंभ (ii) की इकाई का पता	स्तंभ (ii) की इकाई के कारबार की प्रकृति	परियोजना का पता/ अवस्थिति	परियोजना के प्रारंभ की तारीख (दिनदिन/मास मास/वर्षवर्षवर्ष

		1.पब्लिक सेक्टर कंपनी 2. अन्य कंपनी 3. कोई अन्य उद्यम या उपक्रम या इकाई					वर्ष)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)

प्रचालन प्रारंभ की तारीख (दिनदिन/ मासमास/ वर्षवर्षवर्षवर्ष)	वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ की तारीख (दिनदिन/ मासमास/ वर्षवर्षवर्षवर्ष) (ऋण निधि अवसंरचना की दशा में)	वित्तीय वर्षों में जीरो कूपन बंधपत्र के निर्गम द्वारा प्राप्त समुत्थापित निधियों की रकम (रुपए में)					
		वित्तीय वर्ष 1- वर्षवर्षवर्षवर्ष	वित्तीय वर्ष 2- वर्षवर्षवर्षवर्ष	वित्तीय वर्ष 3- वर्षवर्षवर्षवर्ष	वित्तीय वर्ष 4- वर्षवर्षवर्षवर्ष	वित्तीय वर्ष 5- वर्षवर्षवर्षवर्ष	वित्तीय वर्ष 6- वर्षवर्षवर्षवर्ष
(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)

2. मैं सत्यापित करता हूं/हम सत्यापित करते हैं कि …………………………………………. (अवसंरचनात्मक ऋण निधि का नाम) ने जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने पर प्राप्त धन पर सभी उपार्जित ब्याज के लिए एक निक्षेप निधि बनाए रखी, जिसे द्रव लिखत में विनिधान किया गया। [आवेदक के अवसंरचनात्मक ऋण निधि होने की दशा में ही भरा जाए, यदि लागू नहीं हो तो काट दें]।

हस्ताक्षर : ……………………………………………

नाम : …………………………………………………

कंपनी/निधि का नाम : …………………………………

पता : …………………………………………………

रजिस्ट्रीकरण सं. : ……………………………………..

टिप्पण :

अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित अकाउंटेंट (कर्मचारी से भिन्न) द्वारा ही हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना है।"।

[अधिसूचना संख्यांक 28/2022/फा. सं. 370142/4/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 274 (अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 275(E).—In exercise of the powers conferred by clause (48) of section 2 and clause (47) of section 10 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Income-tax (8th Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules), in rule 2F, for sub-rule (3) and (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) The Infrastructure Debt Fund shall issue,-

(i) rupee denominated bonds or foreign currency bonds in accordance with the directions of Reserve Bank of India and the relevant regulations under the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time; or

(ii) zero coupon bonds in accordance with rule 8B.

(4) The terms and conditions of a bond issued by the Infrastructure Debt Fund, —

(i) under clause (i) of sub-rule (3) shall be in accordance with the directions of the Reserve Bank of India and the regulations referred to in the said clause ; or

(ii) under clause (ii) of sub-rule (3) shall be in accordance with rule 8B.".

3. In the principal rules, in rule 8B, —

(a) in sub-rule (1),-

(i) for the words "infrastructure capital fund", the words "infrastructure capital fund or infrastructure debt fund" shall be substituted;

(ii) for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that an application shall not be made for notification of a bond which is to be issued beyond a period of two financial years following the financial year in which such application is made:

Provided further that an application made in Form No. 5B shall be disposed of within a period of six months from the date of receipt of such application.";

(b) in sub-rule (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) where the application is made by any infrastructure capital company or infrastructure debt fund or a public sector company, being a Government company defined under clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), a copy of certificate of incorporation under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).";

(c) in sub-rule (3),-

(i) for the words "infrastructure capital fund" wherever they occur, the words "infrastructure capital fund or infrastructure debt fund" shall be substituted;

(ii) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:-

"(vi) where the application is made by an infrastructure debt fund, such fund shall along with the application, submit an undertaking that a sinking fund shall be maintained for the interest which will accrue on all the zero coupon bonds subscribed and such interest shall be invested in Government security as defined under clause (f) of section 2 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006).";

(d) in sub-rule (5) for the words "infrastructure capital fund", the words "infrastructure capital fund or infrastructure debt fund" shall be substituted;

(e) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely-

"(6) Every infrastructure capital company or infrastructure capital fund or infrastructure debt fund or public sector company shall submit within two months from the end of each financial year referred to in sub-clause (*i*) or sub-clause (*ii*) of clause (*iv*) of sub-rule (3), or, as the case may be, in sub-clause (*i*) or sub-clause (*ii*) of clause (*v*) of sub-rule (3), a certificate from an accountant as defined in the *Explanation* to sub-section (2) of section 288, specifying the amount invested in each year in Form No. 5BA.";

(f) Explanation below sub-rule (7) shall be omitted;

(g) after sub-rule (7) the following shall be inserted, namely:—

"(8) The application in Form No. 5B referred to in sub-rule (1) and the certificate of accountant in Form 5BA referred to in sub-rule (6) shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code.

(9) The Principal Director-General of Income-tax (Systems) or Director-General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing of Form No. 5B and Form No. 5BA.

Explanation.- For the purposes of this rule, the expressions,-

(i) "discount" and "period of life of the bond" shall have the same meanings respectively assigned to them in clause (i) and clause (ii) of the Explanation to clause (iiia) of sub-section (1) of section 36;

(ii) "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the return of income as per the data structure and standards specified by Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems);

(iii) "infrastructure debt fund" shall mean the infrastructure debt fund notified by the Central Government in the Official Gazette under clause (47) of section 10 of the Act.".

4. In the principal rules, in Appendix II, for Form No 5B, the following Forms shall be substituted, namely:—

"FORM NO. 5B

[See sub-rule (1) rule 8B]

Application for notification of a zero coupon bond under clause (48) of section 2 of theIncome-tax Act, 1961

1.	Name of the applicant	
2.	Category (Please tick one):	Infrastructure capital company/ Infrastructure capital fund/ Infrastructure debt fund /Public sector company
3.	Address	
4.	Permanent Account Number of the applicant	
5.	Jurisdictional Assessing Officer	
6.	Date of incorporation/registration (Please enclose copy of certificate of incorporation/ registration)	Dd/mm/yyyy

7.	In case of an Infrastructure debt fund in row 2,-	
	(a) date of approval under section 10(47) of the Act	d d m m y y y y
	(b) Notification Number of the approved Infrastructure debt fund under section 10(47) of the Act	
8.	Objects of the applicant (Please attach copy of Memorandum/Trust deed, etc.)	
	(a) main objects	
	(b) ancillary objects	
9.	In case of public sector company in column 2 please specify nature of business	
10.	The total number of bonds proposed to be issued	
11.	Amount for which the bond is proposed to be issued	
12.	Amount payable on maturity/redemption of the bond	
13.	Discount [(12) - (11)]	
14.	Period of life of the bond	Years Months Days
15.	Financial year during which the bond is to be issued	y y y y y y y y
16.	The objects of issue of the bonds	
17.	Details of investment proposed to be made:	

S. No	Name of entity in which Investment is proposed to be made	Nature of entity in which Investment is proposed to be made 1.Public Sector Company 2.Other company 3. Any other enterprise or undertaking or entity	PAN/Aadhaar of the entity in which investment is proposed to be made	Address of the entity in which investment is proposed to be made	Nature of business of the entity in which investment is proposed to be made	Details of Address/Location of Project (Add rows in case of multiple projects within a company/undertaking/entity)
(i)	(ii)	(iii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
Planned date of commencement of Project		Planned date of Commence	Date of commence ment of	Source of Investment :		Details of management responsible for execution of project:

(dd/mm/yyyy)	ment Operations (dd/mm/yyyy)	commercial operations of project (dd/mm/yyyy) [Applicable in case of Infrastructure Debt Fund]		(Attach organisation structure chart)
(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)

(x)

S. No.	Source	Amount (In Rs)
1.	Zero Coupon Bond	
2.	Own Funds	
3.	Other loan and borrowings	
4.	Issue of rupee denominated bonds	
5.	Issue of foreign currency bond	
6.	Others (Specify)	
Total		

(xi)

S. No.	Designation 1.Director 2. Trustee 3. Others	Name	Qualification
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Experience and Performance			
	Name	Address	PAN/Aadhar
(v)	(vi)	(vii)	(viii)

Amount of funds realised by issue of Zero Coupon Bond proposed to be invested project wise in (Select the first Financial Year)						
Name of Project	Financial Year 1 (Rs)	Financial Year 2 (Rs)	Financial Year 3 (Rs)	Financial Year 4 (Rs)	Financial Year 5 (Rs)	Financial Year 6 (Rs)
(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)	(xvii)	(xviii)

Whether copy of the project report is available? (xix)	Yes/no

(Write "not applicable" against the column or columns which are not relevant to the applicant.)

Declaration

1. I certify that the information furnished above is true to the best of my knowledge and belief.

2. I undertake on behalf of___……………….(write the name of the applicant) being a Infrastructure capital company/ Infrastructure capital fund/ Infrastructure debt fund- /Public sector company (Select the relevant option) that the money realised on issue of such bond shall be invested in accordance with clause (*iv*) or clause (*v*) of sub-rule (3) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962.

3. I further undertake that the ………………..(name of the infrastructure debt fund) shall maintain a sinking fund for the interest which will accrue on all the zero coupon bonds subscribed and the interest shall be invested in liquid instruments. [Only to be filled in case applicant is infrastructure debt fund, strike off if not applicable].

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature *of the authorised signatory* ……………..……………….

Name…………………………………

Designation…………………………

Signature

Note:

1. For column (xiii) in row 17, Financial Year 1 shall be the financial year immediately following the financial year in which the bond is issued as provided in row 15. Financial Year 2 to 6 in columns (xiv) to (xviii) in the said row shall be computed automatically from Financial Year 1.

2. The application shall be furnished along with the documents mentioned below:

(a) Attach copy of Notification of Infrastructure Debt Fund under section 10(47) of the Income-tax Act, 1961 as per row number 3..

(b) Attach certificate of registration/incorporation as per row number 7.

(c) Attach copy of organisation structure of the project in which investment is proposed to be undertaken.

(d) Copy of Project Report, if any.

(e) Power of Attorney of the authorised signatory";

Form No. 5BA

(See sub-rule (6) of rule 8B)

Certificate of an accountant under sub-rule (6) of rule 8B

I/We* have examined the investment made out of the funds raised by issuance of Zero Coupon Bond by ……………(Name of issuer) for the financial year…….. and I/We hereby certify the following :-

1.	Name of Infrastructure capital company/ Infrastructure capital fund/ Infrastructure debt fund /Public sector company which has issued Zero Coupon Bond:	
2.	PAN:	
3.	Category (Please tick one):	Infrastructure capital company/ Infrastructure capital fund/ Infrastructure debt fund /Public sector company
4.	Date of Notification for the issue of Zero Coupon Bond	Dd/mm/yyyy
5.	Notification Number	

6.	Date of issue of Zero Coupon Bond	Dd/mm/yyyy
7.	Amount realised vide issue of Zero Coupon Bond (in Rs)	
8.	Details of Investment made out of the funds realised by issue of zero coupon bond	

S.No	Name of Entity in which Investment has been made	Nature of entity in which Investment has been made 1.Public Sector Company 2.Other company 3. Any other enterprise or undertaking or entity	PAN/Aadhaar of entity in column (ii)	Address of entity in column (ii)	Nature of business of entity in column (ii)	Address/Location of Project	Date of commencement of Project (dd/mm/yyyy)	Date of Commencement of Operations (dd/mm/yyyy)	Date of Commencement of Commercial Operations (dd/mm/yyyy) (In case of infrastructure debt fund)	Amount of funds raised by issue of Zero Coupon Bond invested across financial years (In Rs)					
										Financial Year 1:yyyy	Financial Year 2: yyyy	Financial Year 3: yyyy	Financial Year 4: yyyy	Financial Year 5: yyyy	Financial Year 6: yyyy
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)

2. I/We certify that the ………………..(name of the infrastructure debt fund) has maintained a sinking fund for all accrued interest on the money realised on issue of the zero coupon bond which has been invested in liquid instruments [Only to be filled in case applicant is infrastructure debt fund, strike off if not applicable].

Signature : ……………….……..…….…….……..….

Name: ……………………..…….….…….…….…..…

Name of the company/fund: ………………..……..…….

Address: ……………….……………..………………………

Registration No.: …………..……………..…….……..….

Note :

To be signed and verified by an accountant (other than employee) as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Act.”.

[Notification No. 28/2022/F. No. 370142/4/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, section 3, sub-section (ii), vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number G.S.R. 274 (E) dated the 5th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA